

29-11-19 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित।
वकील पार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी
एवं निर्णय पारित किया गया। निर्णय
अनुसार पार्थी का प्रां पत्र स्वीकार किया
जाकर अपार्थी सं.। लगायत पको गाम
सुरसुरा स्थित वादग्रस्त भूमि ख.न. 1171,
1172, 1173, 1174, 1175, 1176 व 1177 में पार्थी के
हिस्से 1/9 की भूमि के कब्जे का शत व उपयोग,
उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रुकसट,
व्यावधान कारित नहीं करने हेतु मूलवाद
के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है। निर्णय अलग से
लिखवाया जाकर सुनाया गया व शामिल
पत्रावली किया गया।

पत्रावली फ़ैसल नुसार लेकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

